

15/9/25

पक्षाक्षराने दे इ प्रियवक्त्रा उपर/ साक्ष्य परिवारा
मे गवाह उपर नही हो वकील परिवारी ही न
प्रार्थना पत्र के साथ गवाह की साक्षर की पत्र
पेश कर साक्ष्य हेतु इवस्य या ही/ इवलोपन
दिना 17-9-25 को गवाह गमा/ बाद गोल इवस्य दिना
जाता है/ पत्राव वाक्ये साक्ष्य परिवारी दिना 15

17-9-25 को पेश हो



अपर जिला न्यायाधीश सं० 2
गंगापुर सिटी जिला-सवाई माधोपुर (राज)